

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी रिट याचिका संख्या 405/2017

आशुतोष गौतम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

01.02.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

याची की ओर से, कोई उपस्थित नहीं।

श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

याची अधिवक्ता की ओर से स्थगन हेतु आवेदन पेश किया गया है।

प्रत्यर्था संख्या-4 का नोटिस नहीं लौटा है। अतः प्रकरण प्रत्यर्था संख्या-4 के इंतजार नोटिस में दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)  
न्यायाधिपति